न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 112/2017 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00284

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. श्रीमती पंकी पुत्री वगतारामजी, पत्नी हिन्दुजी जाति मीणा, निवासी ग्राम बीठिया, तहसील सुमेरपुर हाल निवासी ग्राम मेणो का बेरा जैतपुरा, तहसील शिवगंज जिला सिरोही 2. श्रीमती जीवी पुत्री वगतारामजी पत्नी जगतारामजी जाति मीणा निवासी ग्राम बीठीया तहसील सुमेरपुर हाल निवासी ग्राम मेणों का बेरा जैतपुरा, तह. शिवगंज जिला सिरोही 3. श्रीमती गंगा पुत्री वगतारामजी पत्नी ओबारामजी जाति मीणा निवासी ग्राम बीठीया तह. सुमेरपुर हाल निवासी ग्राम बापुनगर पालडी, तह. सुमेरपुर 4. श्रीमती जम्मु पुत्री वगतारामजी पत्नी राजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बीठीया तह. सुमेरपुर हाल निवासी शिवगंज जिला सिरोही 5. श्रीमती चम्पा पुत्री वगताराम पत्नी भीमाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बीठीया तह. सुमेरपुर हाल निवासी रून्दाडा तहसील बाली जिला पाली		1. शंकरलाल पुत्र वगताराम 2. पेमाराम पुत्र वगताराम 3. गजी पत्नी वगताराम 4. स्व. वनाराम पुत्र वगताराम के का.मु. 4/1. रमेशकुमार गोद पुत्र वनाराम जरिये कुदरती वली दादी गजी पत्नी वगताराम तमाम जातिगण मीणा निवासीगण बीठीया, तहसील सुमेरपुर जिला पाली 5. सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

—:: नि र्ण य ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:37:20 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 19.11.2020

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा [illegible] अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] 19 दिनाँक 05.06.1989 जो नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया [illegible] निरस्त कराने हेतु पेश की गई। जो म्याद बाहर [illegible] से सब्जेक्ट टू लि[illegible] दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय से मूल रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

वकील प्रार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों का कथन करते हुए निवेदन किया कि सरहद मौजा बीठीया तहसील सुमेरपुर मे खसरा नम्बर 70 रकबा 1.30 है, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.40 है, खसरा नम्बर 77 रकबा 1.37 है व खसरा नम्बर 218 रकबा 1.00 है एवं खसरा नम्बर 76 रकबा 0.01 है किस्म गैर मुमकीन कुल 5 खसरा नम्बरान की कुल भूमी 4.08 है स्थित है।

जो वक्ता उर्फ बगता, अनिया पिसरान कूपा, मुस्मात किशनी पुत्री कूपा मेणा के नाम जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 अनुसार खातेदारी दर्ज थी। जिससे वगता उर्फ बगता का हिस्सा 1/5 वां दर्ज था। जो इनकी पुश्तैनी भूमी थी वगता उर्फ बगता की मृत्यु के बाद पटवार हल्का बिठिया द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत किया गया। उसमें बतौर वारिसान के रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 एवं 4 के पिता वना का नाम दर्ज किया गया। जबकि वगता उर्फ बगता पुत्र कूपा की पूत्रिया अपीलांट संख्या 1 से 4 उसकी विधिक वारिसान होने के बावजूद भी उनका नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 05.06.1989 मे दर्ज नही किया गया। जबकि अपीलांट 1 लगायत 4 सभी स्व. वगता उर्फ बगता की जायन्दा सगी पुत्रियाँ है तथा उसकी प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है। इससे स्पष्ट होता है कि पटवार हल्का बिठिया द्वारा वक्त नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व वगता उर्फ बगता के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई बिना जांच किए नामान्तरकरण दर्ज कर दिया एवं नायब तहसीलदार सुमेरपुर ने स्वीकृत कर दिया जो निरस्त करने योग्य है इसे दर्ज करने से पूर्व हिन्दु उतराधिकार नियम 8 के अनुसार वगता के किसी भी विधिक वारिसान को नोटिस नहीं दिया गया है अतः अपीलांट की और से अपील पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से अपीलांट की अपील स्वीकार फरमावे एवं अपीलांट का वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खसरा नम्बर 76, 78, व 218 कुल रकबा 2.04 है में अपीलांट 1 लगायत 4 का बहिस्सा बराबर दर्ज कराने के तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश प्रदान करावे।

प्रस्तुत अपील में अपीलांट के हक अधिकारों का प्रश्न होने से म्याद का प्रश्न आड़े नहीं आता है। इसलिए अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे। अपने तर्क के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के एकल सदस्य पीठ के रिवीजन संख्या 61/2000 बअनवान श्योबाई वगैरा बनाम शिम्भू वगैरा के निर्णय दिनांक 13.12.2001 की प्रति भी न्यायिक दृष्टांत के रूप में पेश की गई। जिसके आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाने एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय कराने हेतु निवेदन किया।

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अपील नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 05.06.1989 के विरूद्ध करीब 31 वर्षों बाद की गई है जो म्याद बाहर है तथा अपीलांट द्वारा तत्समय के सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है वर्तमान में सन् 2010 को बंटवाड़ा हो जाने से स्थिति बदल गई है अब रेस्पोडेंटगण के खाते में खसरा 76, 78 व 218 कुल खसरा 3 रकबा 2.04 ही दर्ज है बंटवाड़ा में अपीलांट पक्षकार ही नही थी जिसके अनुसार वर्तमान खातेदारों का अपील में तत्कालीन जमाबंदी में दर्ज सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:37:20 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश..........3

जिला कलेक्टर, पाली

खसरा नम्बर 76, 78, 218 मे सीधे खातेदारी मे हिस्सा दर्ज नहीं किया जा सकता है जबकि वक्ताराम के उतराधिकारी के रूप में अपीलांट का जैर अपील सभी पांच खसरा नम्बर 70, 71, 77, 76, 218 में हिस्सा होता है जबकि अपीलांट द्वारा मात्र खसरा नम्बर 76, 78, व 218 में ही नाम दर्ज कराने का निवेदन किया है जो त्रुटिपूर्ण है अपील विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा अपीलांट 1 लगायत 4 द्वारा यह अपील उनके पिता के फौत होने के पश्चात भरे गए नामान्तरकरण में पटवार हल्का द्वारा बतौर उतराधिकारी के इनका नाम दर्ज नहीं करने से वो अपने हक से महरूम हो गई इस–लिए बतौर उतराधिकारी नामान्तरकरण मे नाम दर्ज कराने हेतु पेश की गई। अपील में अपीलांटगण 1 लगायत 4 के हक अधिकारों का प्रश्न होने से अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त अनुसार म्याद का प्रश्न आड़े नहीं आता है अतः अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। अधिवक्ता अपीलांट के अनुसार तथा अपील में दर्ज तथ्यों के व जमाबंदी संवत 2045 से 2048 के अनुसार वगता उर्फ बगता ग्राम बीठीया पटवार हल्का बिठिया तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 70, रकबा 1.30 हे. खसरा नम्बर 71 रकबा 0.40 हे. खसरा नम्बर 77 रकबा 1.37 हे. खसरा नम्बर 218 रकबा 1.0 हे. तमाम किस्म जवाई नहरी तथा खसरा नम्बर 76 रकबा 0.01 हे. किस्म गै.मु. कुल 5 रकबा 4.08 हे. का सहखातेदार कृषक था वगता उर्फ बगता की मृत्यु पर्यन्त जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 05.06.1989 भरा जाकर नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमे उपरोक्त सभी खसरा नम्बर दर्ज है तथा खातेदार शंकर, पपीया, वना पिसरान बगता, गजी बेवा वगता, अनीया पुत्र कूपा, किशनी पुत्री कूपा कौम मेणा दर्ज है प्रस्तुत अपील मे कूपा के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि सह खातेदार होने के कारण उनको पक्षकार बनाया जाना विधिसम्मत होने के बावजूद नहीं बनाया गया इस प्रकार अपील त्रुटिपूर्ण प्रस्तुत की गई है। तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी अपील में बंटवाड़े का जिक्र किया जो तत्कालीन सहखातेदारों द्वारा किया गया जिसमें अपीलांट पक्षकार नही थी उसे निरस्त कराने का कही उल्लेख नहीं किया जबकि उक्त नामान्तरकरण के पश्चातवृती सभी अन्तरण इस नामान्तरकरण के निरस्त होते ही स्वतः निरस्त हो जाते है फिर भी उसे सही व सनद मानते हुए अपील के अन्तिम पैरा में खसरा नम्बर 76, 78, व 218 कुल रकबा 2.04 हैक्टेयर अपीलांट 1 लगायत 4 का बहिस्सा बराबर दर्ज कराने का तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश प्रदान कराने हतु निवेदन किया। जबकि धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील में नामान्तरकरण सही व विधिसम्मत भरा गया अथवा नहीं यह बाद विवेचन नामान्तरकरण [illegible] बहाल किया जाने का प्रावधान है। जमाबंदी में बतौर खातेदार [illegible] नाम दर्ज करने का आदेश अधिवक्ता अपीलांट की मंशा के अनुसार नहीं दिया जा सकता है। न ही धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम में [illegible] प्रकार का प्रावधान है इस बिन्दु के अनुसार भी अपील त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील को उपरोक्त आधारों पर त्रुटिपूर्ण होने से स्वीकार किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:37:20 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

क्रमश..........4

जिला कलेक्टर, पाली

जैर अपील नामान्तरकरण खारिज कराने एवं वगता की मृत्यु पश्चात बाद जांच सभी उतराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज के अनुतोष हेतु पुनः नए सीरे से विधी सम्मत तरीके से अपील प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा अपीलांट अन्तिम पैरा अनुसार अनुतोष सीधा बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज कराना चाहते है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिए स्वतंत्र है।

अपील अपीलांट त्रुटिपूर्ण होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनाँक 19-11-20 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:37:20 IST
Reason: SelfAttested